भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

विद्युत मंत्रालय में वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900/- {वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)} में **स्टाफ कार ड्राइवर** (साधारण ग्रेड), सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित एक पद केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों में कार्यरत कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति/आमेलन से और सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों से प्रतिनियुक्ति/पुनःरोज़गार आधार पर भरने का प्रस्ताव है. पद के विवरण, पात्रता शर्तें आदि का **अनुलग्नक-I** में उल्लेख किया गया है.

2. कार्यालयाध्यक्ष से विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित, निर्धारित प्रपत्र (**अनुलग्नक-II**) में आवेदन-पत्र (दो प्रतियां), साथ में अग्रेषण प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (**अनुलग्नक-III**) और कम से कम अवर सचिव के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले पांच वर्षों के लिए वागोरि/एपीएआर/कार्य और आचरण प्रतिवेदन की प्रतियां संलग्न करते हुए उचित माध्यम से **अवर सचिव (प्रशासन), कमरा नं. 222, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001** के पास रोज़गार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **6 सप्ताह** के भीतर भेजे जा सकते हैं.

3. उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए आवेदन-पत्रों अथवा जो अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के बगैर प्राप्त होंगे अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा.

4. पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

अनुलग्नक-I

1.	पद का नाम	:	**स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)**
2.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित)
3.	वेतनमान	:	पीबी-1 : रु. 5200-20200 + ग्रेड वेतन रु. 1900/- (असंशोधित) और अब वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)
4.	नियुक्ति की पद्धति और पात्रता	:	**प्रतिनियुक्ति/आमेलनः** विद्युत मंत्रालय में स्तर 1 (रु. 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर (**समूह 'ग') और समूह** 'ग' कर्मचारियों मे से, जो मोटर कारों को चलाने की सक्षमता के मूल्यांकन हेतु ड्राइविंग परीक्षा के आधार पर मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, ऐसा न होने पर केंद्रीय

			सरकार के अन्य मंत्रालयों में स्तर 1 (रु. 18000-56900) में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग' पद धारण करने वाले कर्मचारी, जो कॉलम (6) में वर्णित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं. **सशस्त्र सेनाएं कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति अथवा पुनःरोज़गार** सशस्त्र सेनाएं कार्मिक, जो कि एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं अथवा रिजर्व के लिए स्थानांतरित होने वाले हैं और निर्धारित अपेक्षित अनुभव तथा अर्हताएं रखते हैं, पर भी विचार किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखा जाएगा जब वे सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त होने वाले हैं, इसके बाद वे पुनःरोज़गार पर जारी रखे जा सकते हैं. **टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि इस नियुक्ति से तत्काल पहले इसी अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित अन्य निःसंवर्गीय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी. प्रतिनियुक्ति/आमेलन से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी. **टिप्पणी 2:** ऐसे कर्मचारी जो कि पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रति-नियुक्तिवत् पदोन्नति से नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे.
5.	आयु सीमा	:	आवेदन प्राप्ति की बंद होने की तिथि को 56 वर्ष से अधिक न हो.
6.	अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	:	**अनिवार्य:** 1. मोटर कारों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों. 2. मोटर यंत्रीकरण का ज्ञान (अभ्यर्थी वाहन में छोटी-मोटी कमियां दूर करने के योग्य होने चाहिए). 3. मोटर कार की ड्राइविंग का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव. 4. मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10वीं श्रेणी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण. 5. वांछनीय: 6. 1. गृह रक्षक/सिविल वालंटियर्स के तौर पर 3 वर्ष की सेवा.